राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3664 / 2022

श्रीमती रजनी हर्षवाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं पंचायतीराज चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.09.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन ए.एन.एम. के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का समायोजन पीएचसी, राणासर से सब सेन्टर–7, केएनडी, घडसाना, गंगानगर में किया गया है।
3. अपीलार्थी का पूर्व में आदेश दिनांक 15.09.2017 (अनुलग्नक–2) के द्वारा जिला नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, चूरू से मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा में स्थानान्तरण किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी ने अपील संख्या–1296 / 2017 इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें दिनांक 25.09.2017 को माननीय अधिकरण ने अन्तरिम स्थगन आदेश पारित करते हुए आलोच्य आदेश को स्थगित किया था।
4. उनका तर्क है कि उक्त अन्तरिम आदेश के पश्चात् अपीलार्थी को वहीं रखा गया और बाद में अपीलार्थी का स्थानान्तरण सी.एच.सी. राणासर में किया गया और अपीलार्थी वही कार्यरत है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के पति इसी विभाग में कार्यरत है तथा बीमार होने से ईलाज चल रहा है, जिनका निरन्तर इलाज चल रहा

है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया जावे।

5. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
6. अपीलार्थी ने जिस आदेश को पूर्व में अपील संख्या 1296/2017 के जरिये इस अधिकरण में चुनौती दी थी। उस अपील में अपीलार्थी का स्थानान्तरण स्थगित रखा गया था, इस कारण अपीलार्थी को पूर्व पदस्थापित स्थान चूरू में ही रखा गया एवं बाद में अपीलार्थी को सीएचसी राणासर में स्थानान्तरित किया गया एवं वर्तमान में अपीलार्थी चूरू जिले में ही वर्ष 1999 से कार्यरत है।
7. आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2022 (अनुलग्नक–1) में शुरू में ही अंकित किया गया है कि ''आमजन को सहज व सुलभ उपचार उपलब्ध कराने एवं व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखहे हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निम्नांकित नर्सिंगकर्मी जो चूरू जिले के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत होने के कारण अधिशेष है, को रिक्त पदों पर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से समायोजित किया जाता है।'' इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्थानान्तरण अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापन स्थान पर अधिशेष (Surplus) होने से तथा जनहित (Public Interest) में किया गया है। चूंकि स्थानान्तरण आदेश जनहित एवं प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में पति–पत्नी को साथ रखे जाने की नीति के बिन्दु भी बाध्यकारी (Mandatory) नहीं रह जाते हैं। अतः उक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी आलोच्य पदस्थापन/समायोजन आदेश को निरस्त करवाने का अधिकारी नहीं है।
8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)